to halt, but they felt frightened and started running. Six persons were killed. I am pointing this out because, in Punjab, there has been a great deal of hue and cry on this. There is an impression that the Army is being used against the so-called terrorists or militants and they do not believe what the Prime Minister has said, that it is not being used. I would like to seek a clarification as to how these six villagers were killed. If it was a question of stopping them, was it necessary to kill these unarmed persons? Or, were the army personnel trigger-happy?

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Sir, unfortunately, there have been some incidents of ambush of army personnel, without any provocation. They are also under a severe strain. It is true that six persons were killed. An initial enquiry indicated that they were innocent. The army authorities themselves have taken up this matter. They are investigating and they are going to take measures against those who were responsible for this type of killing. But what the hon. Member said is correct that there is strain sometimes. He has been leader of army for quite some time. If they are ambushed without any provocation, sometimes some people under the apprehension do things which are perhaps not required, but the matter is being investigated by army authorities and proper and suitable action will be taken in the matter.

Report of National Commission on SCs/STs

*122. DR. JINENDRA KUMAR JAIN:†

SHRI BAL RAM SINGH YADAVA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in its report submitted to Government, has urged that special courts be set up in every State in order to settle on time the outstanding cases of atrocities committed on Harijans and Girijans;

(b) if so, which are those States where such special courts could not be set up till December, 1990;

(c) whether Government will take effective steps for establishing such courts in all States in future; and

(d) if so, by when Government propose to set up such courts in every State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI RAMJILAL SUMAN): (a) The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Report on 'Atrocities on Scheduled Castes and and Tribes: Causes & Remedies' has *inter-alia* observed/recommended 'designating existing sessions courts as special courts under the Prevention of Atrocities Act will not ensure priority attention for atrocity cases. There should be special courts exclusively for atrocity cases. Where the number of atrocity cases in a District does not provide adequate workload there should be itinerating Special Courts covering two or more districts invested with the powers of additional special courts for each of the District.'

(b) to (d) All States and Union Territories, except Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland have specified Special Courts as required under Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. However, the Government have been pursuing with States/Union Territories for setting up of even exclusive Special Courts. So far only the State of Rajasthan has set up six exclusive Special Courts for trying atrocity cases against SCs and STs.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Mr. Chairman, Sir, there has been no dearth of legislative provisions and availability of Commissions and committees to promote or at least to protect the interest or

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Jinendra Kumar Jain.

at least the lives of the weaker sections of our society, but there has been no let-up in the violence directed against these unfortunate members of our Indian society. Is it the collecuve failure of the collective will of this nation? Is it the failure of the Parliamentary democracy and the steps that we have been taking in this direction so far? Or, is there a lack of will on the part of our Government to implement what is decided in these Houses?

Sir, I have an observation that we have a ritualistic attitude towards the problems that we deliberate here. It is evident from the answer that has been tabled here. As per the answer that the hon. Minister has presented, while there is a clear-cut provision under section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, that there have to be special courts for the protection of these members of our society, the answer says that four States and Union Territories have even failed to notify the provisions to name the existing sessions courts to be the special courts. Four States and Union Territories have even failed to notify. This only meant passing a piece of paper.

Secondly, Sir, as per the answer given here only one State, that is the State of Rajasthan—incidently BJP-ruled State—has set up special courts so far. Here the Government says that they are pursuing the matter. I do not know that after passing such an important Act, after reading the reports of massacre...

श्री सभापति : सवाल पूछो बाबा...

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: My question is, besides doing this ritualistic thing, what concrete steps is the Government taking to give effect to an Act which was passed by this House and the emphasis about which was again laid by the National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes and what other steps is the Government taking to ensure that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are protected against caste violence and discrimination?

श्री रामजी लाल सुमन : सभापति जी, हम राज्य सरकारों बराबर इस संबंध में पत्र-व्यवहार करते हैं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, आंकड़े तो यह बताते हैं कि पिछले दिनों 4 फीसदी ही कमी आई है इन अत्याचारों के सिलसिले में। जहां इनके कई कारण हैं वहीं एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारी जो सोच का तरीका है वह बदल गया है। आज अनुसूचित जाति और जनजाति के नौजवान पुरानी स्थिति में रहने को तैयार नहीं हैं जिसमें उनके पुरखे रहते आए हैं। खास तौर से दो तरह के परिवर्तन आए हैं। एक तो वे पुरानी सामन्ती व्यवस्था में नहीं रहना चाहते हैं और दूसरे अब वे स्वाभिमान से जिन्दगी जीना चाहते हैं।

जहां तक हमारे माननीय सदस्य ने फरमाया कि क्या कारगर उपाय किए गए हैं, हमारे पास 5 करोड़ रुपया था विशेष अदालतों के लिए। हमने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि वे विशेष न्यायालयों की स्थापना करें। जैसा कि मैंने आपको मार्फत निवेदन किया था, सिर्फ राजस्थान में ये विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। हम चाहते हैं कि सारे देश में ये विशेष न्यायालय बनें और उसके लिए हम राज्य सरकारों को 50 फीसदी राशि देने के लिए तैयार हैं, राज्य सरकारों को मदद देना चाहते हैं।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, my question was yes, there has been an intention but here is a total failure to implement that intention which became in Act of Parliament, and is the Government not responsible to give effect to the business that is transacted here? After this you say that there has been a failure. I want a concrete answer, a time-frame within which you will ensure that a decision taken by the two Houses of Parliament, made into an Act, will be implemented, surely, by that time. That was the answer I expected. After his answer to this question, I shall put my second supplementary.

MR. CHAIRMAN: This is your second supplementary.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: No, Sir. Please. I want to know...

MR. CHAIRMAN: He has answered your first question. You put your second supplementary now.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Through this question, Sir...

MR. CHAIRMAN: No, I can't permit it. I must cover some more questions.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Through this question, Sir, I wanted to know if the Government is failing in its duty...

MR. CHAIRMAN: What is your question?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I want to know the time-frame within which they will take the remedial action. Otherwise it will be yet another statement of wishful thinking.

MR. CHAIRMAN: You want to know when it will b done, that's all.
कब तक आप कर देंगे अदालतों की स्थापना यह उनका सवाल है....

श्री रामजी लाल सुमन : श्रीमन रिपोर्ट हमें जनवरी 1990 में प्राप्त हुई थी। हम उसे राज्य सरकारों को भेज रहे हैं।

श्री सभापति : आप कोई स्पेशल कोशिश कीजिए, आप वहां जाइए... **(व्यवधान)**

श्री रामजी लाल सुमन : हम वहां जाने को तैयार हैं.... **(व्यवधान)**

SHRI G. SWAMINATHAN: Sir, how long will they take?

MR. CHAIRMAN: Shri Bal Ram Singh Yadav.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, why the honourable Minister is failing is because there is no free flow of information on this. Now I suggest...

MR. CHAIRMAN: No suggestion. This is the Question Hour, no Suggestion Hour. Shri Bal Ram Singh Yadav.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, give me one supplementary at last.

MR. CHAIRMAN: I have given you two. Shri Bal Ram Singh Yadav.... *(Interruptions)*... Let him ask his question.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, I am only asking my first supplementary.

MR. CHAIRMAN: Shri Bal Ram Singh Yadav.

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भी सरकार आती है, वह कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए वायदा करती है और भाषण करती है, मगर देखने में यह आया है कि हर हुकूमत की जो इच्छा शक्ति है उसमें हमें कमजोरी लगती है...

श्री सभापति : अब भाषण हो गया, प्रश्न कर लीजिए.... **(व्यवधान)**

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, मैं जानना हूं कि उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के दूसरे भागों के अंदर अभी कुछ महीने पहले प्रधान मंत्री के क्षेत्र में, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के क्षेत्र में हरिजनों का कत्ले आम हुआ। अभी कुंडा में घटनाएं हुए बिहार में घटनाएं हुई। अभी आपके नोएडा में जो दिल्ली के करीब है वहां पर 32 हरिजनों को मारकर वहां से भगा दिया गया और वे नोएडा से भागकर दिल्ली में शरण पाए हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह जो आप विशेष न्यायालयों के गठन के बारे में आप कह रहे हैं कि मैं राज्य सरकारों को लिखूंगा तो राज्य सरकारों को लिखिए लेकिन

इसको प्रभावी तरीके से इम्पलीमेंट करने की आज आवश्यकता है। हम कहते तो हैं लेकिन उसको इम्पलीमेंट जब तक नहीं करेंगे इफेक्टिव तरीके से करने की हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए—तब तक कोरे आश्वासन देने से काम चलने वाला नहीं है। आज शर्म की बात यह है कि पूरे देश के अंदर इतने वर्षों के बावजूद आपने जो एस.सी, एस.टी. कमीशन बनाया, उसने जो रिकमेंडेशन दी कि विशेष न्यायालय हर प्रदेश के अंदर स्थापित हों लेकिन आपने आज तक नहीं किया, राजस्थान को छोड़ कर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कब तक राज्य सरकारों पर दबाव डालकर यह एश्योर करेंगे कि हर स्टेट के अंदर अदालतें स्थापित होंगी ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का भी कोई मतलब नहीं रह जायेगा।

श्री रामजी लाल सुमन : सभापति जी, माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ समय तक मंत्री रहे हैं। मैं समझता हूं दिल्ली की सरकार और राज्य की सरकार.... (व्यवधान)

श्री सभापति : और बातों को छोड़िये, अपनी बात करिये।

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हमारे पास जो प्रोपोजल्स आई थी 5 करोड़ रुपये की विशेष न्यायलय के लिए आई थीं। उसमें से 3 करोड़ से अधिक की प्रोपोजल आई है। तीन स्टेटों को पैसा दिया है। हम बराबर देते रहते हैं। मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा...

श्री सभापति : यू.पी. का कब तक होगा ?

श्री रामजी लाल सुमन : इस सिलसिले में हम राज्य सरकारों की बैठक बुलायेंगे। जैसी आपने मुझे आज्ञा दी व्यक्तिगत रूप से मुझे जाना होगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूं।

श्री सभापति : उत्तर प्रदेश में कब तक हो जायेगा यह बता दें। बलराम जी भी उत्तर प्रदेश के हैं और आप भी।

श्री रामजी लाल सुमन : मैं तो पूरे देश के लोगों को बुलाकर मिलने वाला हूं। वहां चला भी जाऊंगा।

श्री सभापति : उत्तर प्रदेश एक बड़ा हिस्सा है उसका बता दें।

श्री रामजी लाल सुमन : उत्तर प्रदेश कोई अलग नहीं है इस देश से।

श्री बलराम सिंह यादव : मेरा दूसरा प्रश्न यह है...

श्री सभापति : आपका दूसरा प्रश्न नहीं, आपका एक ही प्रश्न है।

श्री बलराम सिंह यादव : उसी के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि अगर विशेष न्यायालय बनने में कोई विलम्ब है या देरी है तो जो एस.सी., एस.टी. कमीशन आपने बनाया हुआ है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह एस.सी., एस.टी. कमीशन, जिस संवैधानिक अधिकार है उसको आप एम्प वर करेंगे यह कैसेज सुनने का, शीघ्र इनका निपटारा करने का ?

श्री चन्द्र शेखर : इस कमीशन के क्या अधिकार होंगे, कितने उनको अधिकार दिये जायेंगे यह निर्णय आप सब से सलाह करके किये जायेंगे। यहां पर सदन में कह दूं कि उन सारे केसेज का निपटारा करने का जुडिशियरी अधिकार होगा यह सम्भव नहीं है।

श्रीमती सरला बहिन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब के दौरान यह बताया कि घटनाओं में कमी आयी

हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। बल्कि मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछले दो वर्षों में हरिजनों पर अत्याचार काफी बढ़े हैं। यह जो पूरक प्रश्न है इसके माध्यम से मैं जानना चाहती हूं कि जो समय लगता है अदालतों को फैसले का निपटारा करने में तो उस समय को सीमित करने के लिए क्या सरकार ने कोई सीमा निश्चित की है? इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न यह है कि अत्याचारों के जो मामले चलते हैं उसके दो वर्ग होते हैं—एक तो शासक वर्ग होता है और दूसरा शोषित वर्ग होता है—उसमें अमूमन क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि गवाही न मिलने के कारण वह मामला सही तरीके से नहीं हो पाता है और न ही हरिजनों को कोई न्याय मिल पाता है? दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि पुलिस द्वारा अत्याचार किया जाता है उस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करेगी? इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं कल का उदाहरण देना चाहती हूं। कल कुछ 20-25 हरिजन जो पुलिस के अत्याचार से पीड़ित थे उनको मैं गृह मंत्री जी के पास ले गई थी। गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने तुरन्त इस पर आश्वासन दे दिया, हालांकि उसका परिणाम नहीं मिला। इस तरह के मामलों में सरकार क्या कार्रवाई करेगी अदालतों के द्वारा, यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री रामजी लाल सुमन : सभापति जी, आंकड़े गलत हैं या सही हैं ये आंकड़े तो हमें राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं। जो वह भेजते हैं वही हमें उपलब्ध रहते हैं। जहां तक गवाही का सवाल है कोर्ट की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, सजा देने का प्रावधान होता है तो न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा को हम जानते हैं इसलिए इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई निश्चित जानकारी हो तो वे हमें दें, सरकार उसकी जांच करवायेगी और जो अंकित दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उनको दण्डित भी किया जाएगा।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के अन्दर कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर हरिजनों पर ज्यादा अत्याचार होते हैं और क्या वहां पर स्पेशल कोर्टस हैं और उन डिस्ट्रिक्ट कोर्टस को विशेषाधिकार दिये गये हैं तो क्या जनरल वर्क लोड वहां पर ज्यादा है या कम है और खास करके देश के अन्दर और बिहार के अन्दर जहां पर बहुत ज्यादा हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं और अभी हाल ही में तीन-तीन हुई हैं और एक में तो गृह मंत्री भी गये थे और एक झंझारपुर में हुई है, अगर ये आंकड़े सरकार बनाये हैं तो ये क्या हैं? इसी प्रश्न का दूसरा अंग यह है कि अगर हम हरिजनों की हत्यायें और उन पर होने वाली एट्रोसिटीज को रोकना चाहते हैं तो हिन्दू धर्म में सुधार होना चाहिए और जो हमारी परम्परागत जाति का विषय है उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी शंकराचार्य को बुलाकर क्या यह कहेंगे कि वे हिन्दू धर्म में इस तरह के सुधार करें क्योंकि आप बहुत से शंकराचार्यों से मिलते रहते हैं? आप यह कह सकते हैं कि आप भी तो ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारा रिट पंडितों पर चलता नहीं है, आपका चलता हो और वाजपेयी जी कुछ मदद करें तो कोई इस तरह का रास्ता निकाला जाय। हमारे संविधान में इस तरह का भेदभाव नहीं है और राजनैतिक पार्टियां भी ऐसी बात करती हैं। ऐसी हालत में समाज में जो बुराई विद्यमान है, उसके सुधार के लिए क्या आप कोई इस तरह का कदम उठाएंगे?

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, सामाजिक सुधार के लिए हम सब की मदद चाहते हैं और हम सब से निवेदन करने को तैयार हैं। लेकिन आप जानते ने कि शंकराचार्य में भी ऐसे लोग हैं जो सामाजिक सुधार को मानते नहीं हैं, जो हमारी और आपकी कल्पना है उसको नहीं मानते हैं। कुछ शंकराचार्य ऐसे अवश्य हैं जो सामाजिक सुधार के

लिए खुले दिल से कह रहे हैं और हमें उनका स्वागत करना चाहिए, उनके विचारों का स्वागत करना चाहिए। माननीय सदस्य का विचार सही है कि देश में जो परम्परागत रूढ़िगत बुराई आई है इसको मिटाने के लिए जहां सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिए वहां धार्मिक और सामाजिक नेताओं से भी सहायता मिलनी चाहिए। माननीय सदस्य ने स्वयं निवेदन इस सदन के जरिये से किया है। मैं उनके साथ हूं और अपनी भावनायें उनके साथ जोड़ना चाहता हूं और धार्मिक और सामाजिक नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सामाजिक बुराई का अंत करने के लिए वे अपनी तरफ से प्रयास करें, इसके लिए हम उनका अभिनन्दन करेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : मेरे प्रश्न के फर्स्ट पार्ट का उत्तर नहीं आया है। वे कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये अत्याचार ज्यादा होते हैं, उनकी सूची बताई जाय.. **(व्यवधान)**।

श्री संघ प्रिय गौतम : श्रीमन्, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे प्रश्न करने की इजाजत दी जाय। मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक शेड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन का गठन नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक इस कमीशन का गठन क्यों नहीं किया गया है? अभी तक केवल अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और वह भी पूर्व सरकार ने की थी। अब पता यह लगा है कि फाइल प्रधान मंत्री जी के पास पेंडिंग है। आज तक उसका गठन नहीं किया गया है। अगर कमीशन का गठन ही नहीं होगा तो मामले कैसे तय होंगे? पावर्स उनको अभी तक मिली नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं दिया गया है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इस कमीशन का गठन कब तक किया जाएगा?

श्री रामजी लाल सुमन : सभापति जी, जो नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो है उसकी एक लाख की आबादी पर एस. सी. और एस. टी. पर जो अत्याचार होते हैं उसकी फीगर मेरे पास है। जिलों की फीगर मेरे पास नहीं है, लेकिन स्टेट्स की फीगर है। इस लिहाज से सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर मध्य प्रदेश में हुए हैं। यह 396 ओवर आल एक लाख पर है। दूसरा नम्बर राजस्थान का आता है जहां पर 162 एक लाख पर अत्याचार हुए हैं। गुजरात में 146 अत्याचार हुए हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज फीगर मांगी थी।

श्री सभापति : उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज फीगर्स नहीं हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : इससे तो जाहिर है कि केन्द्रीय सरकार भी सचेष्ट नहीं है ...**(व्यवधान)**। हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे इस सेंसटिव क्वेश्चन पर और कहना चाहेंगे कि इस बारे में एक सूची तैयार होनी चाहिये कि पेंडेंसी क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर। पहले यह तय होना चाहिये और तब स्पेशल कोर्ट होने चाहिये। इस बारे में आप क्या तो अभी कहिये नहीं तो बाद में कहिये। ..**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : जब तक कमीशन का गठन होगा, प्रधानमंत्री जी बता दें यह सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : कमीशन के बारे में आपको कुछ कहना है?

श्री रामजी लाल सुमन : सभापति जी, कमीशन का गठन बहुत जल्दी होने वाला है।

MR. CHAIRMAN: Q. NO. 123